



संख्या-21/2024/1/509298/2024/77-3002-003/12/2023

प्रेषक,

शैलेन्द्र कुमार,

अनु सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा)

गोरखपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 01/03/2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में औद्योगिक गलियारा हेतु चिन्हित ग्रामों के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि रु0 200.00 करोड का उपभोग औद्योगिक गलियारा हेतु पूर्व में चिन्हित अन्य ग्रामों में भी उपभोग किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा के पत्रांक-4844/भू0अ0-दो/गीडा/2023-24 दिनांक 02.02.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ औद्योगिक गलियारा विकसित किये जाने हेतु जनपद गोरखपुर में द्वितीय चरण में गीडा के अधिसूचित ग्रामों चकभोप, बरउर, चकफत्ता एवं ककना में भूमि क्रय किये जाने हेतु शासनादेश संख्या 66/2023/001-77-3002-003-12-2023 दिनांक 27.10.2023 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि रु0 20000.00 लाख से ही औद्योगिक गलियारा के दूसरी तरफ अधिसूचित ग्राम तालनवर व बाघागाड़ा तहसील सदर की भूमि एवं पूर्व में ग्राम भगवानपुर तहसील सहजनवां की क्रय की गई भूमि से सटे अवशेष भूमि को किसानों से आपसी समझौते से क्रय किये जाने की कार्यवाही सुसंगत अधिनियमों/नियमों/शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन किये जाने जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. शासनादेश संख्या 66/2023/001-77-3002-003-12-2023 दिनांक 27.10.2023 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी और उक्त शासनादेश दिनांक 27.10.2023 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(शैलेन्द्र कुमार),

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
5. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, गोरखपुर।
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
9. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन ।
10. वित्त नियंत्रक, गीडा
11. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
13. नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार),
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।